



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, मार्च 30—अप्रैल 5, 2014, शनिवार/चैत्र 9—चैत्र 15, 1936
 No. 6] NEW DELHI, MARCH 30—APRIL 5, 2014, SATURDAY/CHAITRA 9—CHAITRA 15, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
 Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
 Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2014

का.नि.आ. 25.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सैनिक इंजीनियरी सेवा (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा काडर) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2005 को जहां तक उसका संबंध कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक इंजीनियरी सेवा में कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1).—इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सैनिक इंजीनियर सेवा कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	ग्रेड वेतन और वेतन बैंड/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कार्यपालक इंजीनियर	84* (2014) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड 3 15,600—39,100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) से प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: (क) 66.67 प्रतिशत ऐसे सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) की प्रोन्नति जो वेतनमान 8,000—13,500 रु. पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान वर्तमान रूप में पुनरीक्षित वेतन बैंड 15600—39100 रु.+ ग्रेड वेतन 5400 रु. की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं और

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री रखते हैं, या भारत सर्वेक्षण संस्थान से पास हैं अथवा अंतिम परीक्षा में भाग ले रहे हैं।

(ख) 33.33 प्रतिशत ऐसे सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) की प्रोन्नति जो वेतनमान 6500—10500 जिसने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो, (पूर्व पुनरीक्षित) वर्तमान रूप में पुनरीक्षित वेतन बैंड—2 93,00—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. में।

(i) जो श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं और सिविल इंजीनियरी में डिग्री रखते हैं या भारत सर्वेक्षण संस्थान से पास हैं अथवा अंतिम परीक्षा में भाग ले रहे हों।

(ii) जो श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा रखते हैं या भारत सर्वेक्षण संस्थान से भवन और परिमाण सर्वेक्षण परीक्षा में इंटरमीडिएट पास हैं।

टिप्पण 1 : उपरोक्त के संबंध में, प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची को अधिकारियों द्वारा अपनी अपनी श्रेणी या पद में विहित अर्हक सेवा के पूरी होने की तारीख के प्रति निदेश से तैयार की जाएगी।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) जो डिग्री रखते हैं और सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) जो डिप्लोमा रखते हैं की पात्रता सूची तैयार करते समय यह उपबंध पृथक्: लागू होंगे।

टिप्पण 3 : सैनिक इंजीनियर सेवा (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) काडर समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2005 के आरंभ की तारीख अर्थात् 17 फरवरी, 2005 को पांच वर्ष की सेवा रखने वाले सभी सहायक कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) जो श्रेणी में पद धारण किए हुए हैं और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा रखते हैं या भारत सर्वेक्षण संस्थान से भवन और परिमाण सर्वेक्षण में इंटरमीडिएट पास हैं उन्हें भी कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) के लिए प्रोन्नति पर उपरोक्त खंड (क) और (ख) के प्रवृत्त होने से पहले विचार किया जाएगा।

स्पष्टीकारक ज्ञापन— रक्षा मंत्रालय सैनिक इंजीनियरी सेवा (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा काडर), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2005 के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो सहायक कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) सिविल इंजीनियरी या समतुल्य डिग्री के साथ श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं। कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) की प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे, जबकि सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) जो सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य के साथ श्रेणी में दस वर्ष की सेवा रखते हैं। वे भी सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) की प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे। ऐसे डिप्लोमाधारक सहायक कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) जो सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) से प्रोन्नत हुए हैं प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे, परंतु उनके कनिष्ठ सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) जो डिप्लोमाधारक हैं कार्यपालक इंजीनियर के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे, इसलिए, सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) प्रोन्नति में उक्त नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति को प्राप्त करेंगे जहां कनिष्ठ सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) से पहले प्रोन्नति के पात्र होंगे और सदृश स्थिति को प्राप्त करेंगे। यथोक्त तारीख पर सभी विद्यमान कार्यपालक सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) जो सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) से प्रोन्नत हुए हैं और इसलिए वे विद्यमान सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) से पारस्परिक रूप से ज्येष्ठ होंगे।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सैनिक इंजीनियरी सेवा (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा काडर) समूह 'क' के पद पर भर्ती नियम, 2005 के अधीन कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) पद से संबंधित अनुसूची के स्तंभ के अधीन 17 फरवरी, 2005 से प्रदान की गई सेवा की गणना के लिए टिप्पणी 1, टिप्पणी 2 और टिप्पणी 3 को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संशोधन से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति [(सहायक कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) प्रोन्नति पर विचार करने के लिए] निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—	सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) के समूह 'ख' अधिकारियों की प्रोन्नति के लिए और इन नियमों के किसी उपबंधों का संशोधन करने या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(i) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय — अक्षयक्ष	
(ii) महानिदेशक (कार्मिक) मुख्य इंजीनियर शाखा — सदस्य	
(iii) उप सचिव, रक्षा मंत्रालय — सदस्य	
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) के प्रोन्नति की संबंध में विचार के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—	
(i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष	
(ii) उप-महानिदेशक (कार्मिक) मुख्य इंजीनियर शाखा — सदस्य	
(iii) उप सचिव, रक्षा मंत्रालय — सदस्य	

[सं. पी.सी. 85604/1/सर्वेक्षण का काडर/आर आर/भाग-II/सीएससीसी/ III/र.(नि.)/2014]

दलपत सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 27th March, 2014

S.R.O. 25.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Military Engineer Service (Quantity Surveying and Contracts Cadre) Recruitment Rules, 2005, in so far as they relate to post of Executive Engineer (Quantity Surveying and Contracts), the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Executive Engineer (Quantity Surveying and Contracts) in the Military Engineer Services under the Ministry of Defence, namely :—

1. **Short title and Commencement .**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Military Engineer Services (Quantity Surveying and Contracts Cadre), Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said post, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexured to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Executive Engineer (Quantity Surveying and Contracts)	*84 (2014) (*Subject to variation dependent on work load).	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial	PB-3 Rs.15,600 – 39,100 with grade pay of Rs. 6600	Selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods		
(7)	(8)	(9)	(10)		
Not applicable	Not applicable	Two years for those promoted from Assistant Engineer (Quantity Surveying and Contracts)	Promotion		
In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment			
(11)	(12)	(13)			
Promotion :	Group 'A' Departmental Promotion Committee [for considering Promotion from Assistant Executive Engineer (Quantity Surveying and Contracts)] consisting of	Consultation with the Union Public Service Commission necessary for promotion from Group 'B' officers of Assistant Engineer (Quantity Surveying and Contracts) and for amending or relaxing any provision of these rules.			
(a) 66.67% promotion from Assistant Executive Engineer (Quantity Surveying and Contract) in the pay scale of Rs. 8,000-13,500 (pre-revised) now revised as Pay Band – 3 Rs. 15600-39100 Grade Pay Rs. 5400/- with five years regular service in the grade and possessing Degree in Civil Engineering from a recognized University ;	(i) Joint Secretary, Ministry of Defence (ii) Director	- Chairman General			

or passed final or direct final examination of Institution of Surveyors, (India).	(Personnel), Branch	Engineer-in-Chief's - Member
(b) 33.33% promotion from Assistant Engineer (Quantity Surveying and Contracts) in the pay scale of Rs. 6500-10500 (Pre-revised) now revised as Pay Band – 2 Rs. 9,300 – 34,800 Grade Pay of Rs. 4600/-.	(iii) Deputy Secretary, Ministry of Defence,	- Member
(i) with eight years regular service in the grade and possessing Degree in Engineering (Civil), or passed final or direct final examination of Institution of Surveyors (India).	Group 'A' Departmental Promotion Committee [for considering Promotion from Assistant Engineer (Quantity Surveying and Contracts)] consisting of	
(ii) with ten years regular service in the grade. Possessing Diploma in Civil Engineering from a recognized University or Institution or passed Intermediate in Building and quantity surveying examination of Institution of Surveyors (India).	(i) Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman (ii) Deputy Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch (iii) Deputy Secretary, Ministry of Defence,	- Member - Member

Note 1: In respect of (b) above, the eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. This provision shall be applicable separately to Assistant Engineer (Quantity Surveying and Contracts) possessing degree and Assistant Engineer (Quantity Surveying and Contracts) possessing Diploma while preparing the eligibility list.

Note 3: All Assistant Executive Engineers (Quantity Surveying and Contracts) holding the post on the date of commencement of the Military Engineer Service (Quantity Surveying and Contracts) cadre Group 'A' posts Recruitment Rules, 2005, that is, on the 17th February, 2005, with five years of service in the grade and possessing Degree or Diploma in civil engineering from a recognized university or institution or passed intermediate in Building and Quantity Surveying examination of Institution of Surveyor (India), will also be considered for promotion to Executive Engineer (Quantity Surveying and Contracts) before the provisions at (a) and (b) above are operated.

Explanatory Memorandum.—In accordance with the Ministry of Defence, Military Engineer Services (Quantity Surveying and Contracts Cadre), Group 'A' posts Recruitment Rules, 2005, the persons holding the post of Assistant Executive Engineer (Quantity Surveying and Contract) with degree in Civil Engineering or equivalent having four years of service in the grade are eligible for promotion to Executive Engineer (Quantity Surveying and Contract), whereas Assistant Engineers (Quantity Surveying and Contract) with Diploma in Civil Engineering or equivalent having ten years of service in the grade are also eligible for promotion to Executive Engineer (Quantity Surveying and Contract). However, diploma holder Assistant Executive Engineer (Quantity Surveying and Contract) promoted from Assistant Engineer (Quantity Surveying and Contract) is not eligible for promotion but his junior Assistant Engineer (Quantity Surveying and Contract) with diploma is eligible for the promotion to the post of Executive Engineer. So, the promotion from Assistant Engineers (Quantity Surveying and Contract) as per the said rules, will lead to a situation where junior Assistant Engineers (Quantity Surveying and Contract) will be eligible for promotion before the Assistant Executive Engineers (Quantity Surveying and Contract) and would lead to an anomalous situation. As on date, all the existing Assistant Executive Engineers (Quantity Surveying and Contract) are promoted from Assistant Engineers (Quantity Surveying and Contract) and are therefore, enblock senior to existing Assistant Engineers (Quantity Surveying and Contract).

2. In view of above, it is proposed to include Note '1', Note '2' and Note '3' under column (11) of the Schedule relating to the post of Executive Engineer (Quantity Surveying and Contract) under the Military Engineer Services (Quantity Surveying and Contracts Cadre), Group 'A' posts Recruitment Rules, 2005 to count the service rendered from the 17th February, 2005. It is certified that by the said amendment no one is adversely affected.

[PC-85604/1/Surveyor Cadre/RR/Vol-II/CSCC/III/D(Apptt.)/2014]

DALPAT SINGH, Under Secy.

(रक्षा उत्पादन विभाग)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2014

का.नि.आ. 26—केंद्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) नियम 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलूर की निम्नलिखित केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को, जिसके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला
भारत नगर, पोस्ट,
गजियाबाद-201010 (उत्तर प्रदेश)

बाबू लाल, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

(DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

New Delhi, the 03rd March, 2014

S.R.O. 26.—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following Central Research Laboratory of Bharat Electronics Ltd. 80 % staff whereof has acquired working knowledge of Hindi :—

Bharat Electronics Ltd.
Central Research Laboratory
Bharat Nagar Post
Ghaziabad-201010 (U.P.)

BABU LAL, Joint Director, Official Language

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2014

का.नि.आ. 27.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय (बाजार आसूचना सांख्यिकी और प्रगति अधिकारी) भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, बाजार आसूचना सांख्यिकी और प्रगति अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय (बाजार आसूचना सांख्यिकी और प्रगति अधिकारी) भर्ती नियम 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो ऊपर अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. बाजार आसूचना सांख्यिकी और प्रगति अधिकारी	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड -3 15600-39100 ग्रेड वेतन 5400 रु.) इस पद पर तैनात सैन्य अधिकारी वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रु. वेतन मान में 6100 रु. ग्रेड वेतन धन सैन्य सेवा में अनुज्ञेय सैन्य सेवा वेतन में कैप्टन का पद धारण करने वाले आफिसर का वेतन आहरित करेंगे .	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	सशस्त्र बलों के पुनर्नियोजित कार्मिकों के लिए 2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	
(11)	
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जो : (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2 में 9300-34800 रु. वेतन मान में 4800 रु. ग्रेड वेतन में 2 वर्ष की नियमित सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने वेतन बैंड-2 में 9300-34800 रु. वेतन मान में 4600 रु. ग्रेड वेतन में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है ; या (iv) वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रु. वेतन मान में 6100 रु. ग्रेड वेतन धन सैन्य सेवा में अनुज्ञेय सैन्य सेवा वेतन में कैप्टन का पद धारण करने वाले आफिसर ; और (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हैं ; अनिवार्य : (i) सांख्यिकी या प्रचालन अनुसंधान या भौतिकी में मास्टर डिग्री या सांख्यिकी या वाणिज्य सहित गणित में मास्टर डिग्री (ii) बाजार आसूचना और सांख्यिकी के क्षेत्र में सरकारी या अर्द्ध-सरकारी संगठन या वाणिज्यिक समुत्थान में वाणिज्यिक या अर्द्ध-वाणिज्यिक कार्यकलापों का 3 वर्ष का अनुभव वांछनीय : भंडार की खरीद का 2 वर्ष का अनुभव टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति के आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है । सशस्त्र सेना के कार्मिकों के लिए : सशस्त्र बल के कैप्टन के रैंक के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास स्तम्भ (11) में प्रतिनियुक्ति के लिए विहित अनुभव और अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समूह 'क' विभागीय पुष्टी समिति 1. विशेष सचिव या अपर सचिव - अध्यक्ष (रक्षा मंत्रालय) 2. संयुक्त सचिव (स्थापना) - सदस्य (रक्षा मंत्रालय) 3. संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) और प्रधान प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य (रक्षा मंत्रालय)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-48013/2/99-रक्षा(स्था.1/ग्रपु-I)]

के. मुरली, अवर सचिव

New Delhi, the 18th March, 2014

S.R.O. 27.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence (Market Intelligence Statistical and Progress Officer) Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Market Intelligence Statistical and Progress Officer in the Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence (Market Intelligence Statistical and Progress Officer) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall be applicable to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, Pay Band and Grade Pay or scale of pay.—The number of the said post, its classification, Pay Band and Grade Pay or scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

“SCHEDULE”

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Market Intelligence Statistical and Progress Officer	1 * (2014) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band - 3 : Rs.15600-39100 plus Grade pay Rs.5400. For Service Officers The service Officers appointed to post will draw their pay in the Pay Band - 3 : Rs.15600-39100 plus Grade Pay Rs.6100 plus Military Service Pay admissible to the Officers of the rank of Captain.	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age & education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	2 years for Armed Forces Personnel Re-employed.	By Deputation For Armed Forces Personnel:- Deputation or re-employment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.

(11)

Deputation :

Officers under Central Government or State Government:

- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) With two years regular service in posts in the Pay Band – 2 : Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent; or
- (iii) With three years regular service in posts in the pay Band-2:Rs.9300-34800 with Grade pay of Rs. 4600 or equivalent; or
- iv) Officers holding rank of Captain in the Pay Band - 3 : Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6100 plus Military Service Pay admissible in the Defence Services; and
- (b) Possessing following qualifications:

Essential:

- (i) Master's degree in Statistics or Operations Research or Physics or Master's degree in Mathematics with Statistics or Commerce or Economics or Agricultural Economics with Statistics as a subject from a recognised University.
- (ii) Three years' experience in the field of Market Intelligence and Statistics in a Government or Semi-Government Organisation or

Commercial concern dealing with commercial or semi-commercial activities.

Desirable: Two years experience in the procurement of stores.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis. The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

For Armed Forces Personnel:

Deputation or Re-employment:

The Armed Forces Personnel of the rank of Captain or above of the Army Service Corps due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and possessing educational qualifications and experience prescribed for deputation under Column (11) shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. (Re-

employment upto the age of superannuation with reference to Civil Posts).	
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee consisting of-	Consultation with the Union Public Service Commission necessary for filling up of the post.
1. Special Secretary or Additional Secretary (Ministry of Defence) - Chairman	
2. Joint Secretary (Establishment) (Ministry of Defence) - Member	
3. Joint Secretary (Training) and Chief Administrative Officer (Ministry of Defence) - Member	

[F. No. A-48013/2/99-D(Est. I/Gp.I)]

K. MURALI, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2014

का.नि.आ. 28—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और समूह 'ग' (इलैक्ट्रानिक आकड़ा प्रक्रमण केंद्र) पद भर्ती नियम, 1996 को, जहां तक उसका संबंध आकड़ा प्रविष्ट प्रचालक श्रेणी 'ख' और आकड़ा प्रविष्ट प्रचालक श्रेणी 'क' पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (नौसेना) में समूह 'ग' (अयोद्धक इलैक्ट्रानिक आकड़ा प्रक्रमण) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय (नौसेना) एकीकृत मुख्यालय समूह 'ग' (इलैक्ट्रानिक आकड़ा प्रक्रमण) पद भर्ती नियम, 2014 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान : उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएँ, आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ख'	28* (2014) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, अयोद्धक	वेतन बैंड-1: 5200- 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से डिग्री। 2. इलैक्ट्रॉनिक विभाग से प्रत्यापित (डी ओ ई ए सी सी) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग या	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती हुए व्यक्ति के लिए दो वर्ष

डाटा बेस प्रबंध में प्रविण्य का 'ए' लेवल सर्टीफिकेट। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त संगठन या संस्था में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		
--	--	--

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा; 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'क' जिनकी वेतन बैंड-1, 5200-20200 +ग्रेड वेतन 2400 रु. श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जो वेतन बैंड-1 : 5200-20200 रु., ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं; (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

यदि विभागिय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागिय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. संबंधित मुख्यालयों के कमान के कमांडर या समतुल्य या उससे ऊपर की पंक्ति का आफिसर - अध्यक्ष 2. संबंधित मुख्यालय के कमान के लेफ्टिनेंट कमांडर या लेफ्टिनेंट या समतुल्य पंक्ति का आफिसर - सदस्य 3. असंबद्ध विभाग का लेफ्टिनेंट कमांडर या लेफ्टिनेंट या समतुल्य पंक्ति का आफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'क'	15* (2014) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय, अयोद्धक	वेतन बैंड-1: 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से 10+2 उत्तीर्ण। 2. इलैक्ट्रॉनिक विभाग से प्रत्यापित (डी ओ ई ए सी सी) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग या डाटा बेस प्रबंध में प्रविण्य का 'ओ' लेवल सर्टीफिकेट। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए धारित की जाने वाली विहित अर्हताएं तथा नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. संबंधित मुख्यालयों के कमान के कमांडर या समतुल्य या उससे ऊपर की पंक्ति का आफिसर – अध्यक्ष 2. संबंधित मुख्यालय के लेफ्टिनेंट कमांडर या लेफ्टिनेंट या समतुल्य पंक्ति का आफिसर – सदस्य 3. असंबद्ध विभाग का लेफ्टिनेंट कमांडर या लेफ्टिनेंट या समतुल्य पंक्ति का आफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

New Delhi, the 21st March, 2014

S.R.O. 28.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Group ‘C’ (Electronic Data Processing Center) posts Recruitment Rules, 1996, in so far as they relate to Data Entry Operator Grade ‘B’ and Data Entry Operator Grade ‘A’ posts, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group ‘C’ (Non-Industrial) (Electronic Data Processing) posts in Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy) namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) Group ‘C’ (Electronic Data Processing) posts, Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay and scales of pay.**— The number of the posts, their classification, pay band and grade pay and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission in respect of Group ‘B’ posts, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification.	Pay band and Grade pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Data Entry Operator Grade 'B'	28* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial	Pay band-1, Rs.5200-20200, grade pay Rs.2800	Non-selection	Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants up to forty years in the case of general candidates and forty five years in the case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit mentioned in Column 06 of the Scheduled will in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: 1. Degree from a recognised University or Board. 2. 'A' level certificate of proficiency in computer programming or data base management from Department of Electronics Accredited Computer Courses (DOEACC) recognised institution. Desirable: Two years experience in a recognised organisation or institution. Note 1. The qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2. The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the appointing authority in the case of candidates belong to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the appointing authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits	75% by promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment. 25% by direct recruitment.	Promotion:- Data Entry Operator Grade 'A' in pay band-1, Rs. 5200—20200 and grade pay Rs. 2400 with five years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): (a) Officers of the Central Government : (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in pay band-1, Rs. 5200-20200 and grade pay Rs. 2400 or equivalent; (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: — 1. Officer of the rank of Commander or equivalent of respective Command Headquarters — Chairman 2. Officer of the rank of Lieutenant Commander/ Lieutenant or equivalent of respective Command Headquarters — Member. 3. Officer of the rank of Lieutenant Commander/ Lieutenant or equivalent, unconnected with the department — Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Data Entry Operator Grade 'A'	15* (2014) Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial	Pay band-1 Rs.5200-20200 grade pay Rs.2400	Not applicable	Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants up to forty years in the case of general candidates and forty five years in the case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit mentioned in Column 06 of the Scheduled will in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: 1. 10+2 pass from a recognized Board or equivalent. 2. 'O' level certificate of proficiency in computer programming or data base management from Department of Electronics Accredited Computer Courses (DOEACC) recognized institution. Note 1. The qualification are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2. The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the appointing authority in the case of candidates belong to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the appointing authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Direct Recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from other officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 7.	Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: - 1. Officer of the rank of Commander or equivalent of respective Command Headquarters - Chairman 2. Officer of the rank of Lieutenant Commander/ Lieutenant or equivalent of respective Command Headquarters - Member 3. Officer of the rank of Lieutenant Commander/ Lieutenant or equivalent, unconnected with the department - Member	Not applicable

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2014

का.नि.आ. 29.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वायु सेना समूह 'ग' औद्योगिक अतिकुशल श्रेणी भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के भारतीय वायु सेना में अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II और अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I के समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वायु सेना समूह 'ग', औद्योगिक पद, अतिकुशल कर्मकार भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना: ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. वायुयान मैकेनिक (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	77* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	किसी सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थान से वायुयान मैकेनिक के व्यवसाय में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और साथ ही दो वर्ष का अनुभव। या वायुयान मैकेनिक व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा नहीं।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों	प्रोन्नति: ऐसे वायुयान मैकेनिक (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता

के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कर्मियों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर – सदस्य	
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. आयुधिक (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	21* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अनुसूचितीय	वेतन बैंड-1 (5200—20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आयुधिक के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या आयुधिक व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. लुहार और वेल्डर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	12* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	लुहार और वेल्डर के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या लुहार और वेल्डर व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे लुहार और वेल्डर (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है - सदस्य	लागू नहीं होता।

	पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. बायलर अटेन्डेंट (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	02* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,	बायलर अटेन्डेंट के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या बायलर अटेन्डेंट व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या

मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)			आमेसन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा नहीं।
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।			

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेसन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे बायलर अटेन्डेंट (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेसन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. पुस्तक जिल्दसाज (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	01* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	पुस्तक जिल्दसाज के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या पुस्तक जिल्दसाज व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे पुस्तक जिल्दसाज (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. बढई (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	63* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अनुसूचित	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	बढई के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या बढई व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति: ऐसे बढई (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में,	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या	लागू नहीं होता।

जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	
---	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. कम्पोजिटर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	02* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न	कम्पोजिटर के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या कम्पोजिटर व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा नहीं।

कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)			
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।			

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे कम्पोजिटर (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कर्मियों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. ताम्रकार और धातु चादर कर्मकार (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	20* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	ताम्रकार और धातु चादर कर्मकार के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या ताम्रकार और धातु चादर कर्मकार व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेसन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेसन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे ताम्रकार और धातु चादर कर्मकार (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेसन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. कॉपी होल्डर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	01* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अनुसूचित	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	कॉपी होल्डर के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या कॉपी होल्डर व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे कॉपी होल्डर (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. बिजली मिस्त्री (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	30* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	बिजली मिन्त्री के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या बिजली मिन्त्री व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे बिजली मिन्त्री (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेट ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11. विधुत लेपक (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	06* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	विधुत लेपक के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या विधुत लेपक व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे विधुत लेपक (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12. फिटर यांत्रिक परिवहन (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	22* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	फिटर यांत्रिक परिवहन के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या फिटर यांत्रिक परिवहन व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे फिटर यांत्रिक परिवहन (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. फिटर या फिटर साधारण (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	10* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	फिटर या फिटर साधारण के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या फिटर या फिटर साधारण व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे फिटर या फिटर साधारण (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14. उपकरण मरम्मतकर्ता (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	22* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	उपकरण मरम्मतकर्ता के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या उपकरण मरम्मतकर्ता व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे उपकरण मरम्मतकर्ता (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कर्मियों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15. चमड़ा कर्मकार (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	04* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा	चमड़ा कर्मकार के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	या चमड़ा कर्मकार व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।		या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।
---	---	--	---

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे चमड़ा कर्मकार (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में से वारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कर्मियों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16. मशीन माइन्डर (सिलेण्डर) (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	01* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसन्धित	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मशीन माइन्डर के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या मशीन माइन्डर व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेदन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेदन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर	प्रोन्नति: ऐसे मशीन माइन्डर (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कतिपय व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती द्वारा।	इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य
--------------------	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17. मशीन टूल सेटर और ऑपरेटर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	25* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले	मशीन टूल सेटर और आपरेटर के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या मशीन टूल सेटर और आपरेटर व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा नहीं।

तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।			
--	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है – सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18. सांचागार (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	04* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)	सांचागार के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या सांचागार व्यवसाय से ऐसे	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।		व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।
--	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेदन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे सांचागार (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेदन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19. नमूनाकार (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	02*(2014) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसन्धित	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	नमूनाकार के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या नमूनाकार व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे नमूनाकार (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवार्त ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर- कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेट ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20. पेन्टर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	80* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	पेन्टर के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या पेन्टर व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या	प्रोन्नति: ऐसे पेन्टर (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष	लागू नहीं होता।

पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21. फोटो मैकेनिक (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	02* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों)	फोटो मैकेनिक के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति

की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	दो वर्ष का अनुभव या फोटो मैकेनिक व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।		पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।
--	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कर्मियों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22. रेडार मैकेनिक (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	25* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन
(6)	(7)	(8)	(9)	
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	रेडार मैकेनिक के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या रेडार मैकेनिक व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।	
(10)	(11)	(12)	(13)	
आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।	

	केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23. रिगर लीडिंग (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	01* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	रिगर लीडिंग के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या रिगर लीडिंग व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे रिगर लीडिंग (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24. सुरक्षा उपस्कर कर्मकार (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	03* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	सुरक्षा उपस्कर कर्मकार के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या सुरक्षा उपस्कर कर्मकार व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे सुरक्षा उपस्कर कर्मकार (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25. टेलर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	11* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	टेलर के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या टेलर व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे टेलर (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में से वारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेट ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26. टीनकार (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	15* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	टीनकार के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या टीनकार व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर	प्रोन्नति: ऐसे टीनकार (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती द्वारा।	उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कर्मियों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	हो, जहां प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	
--------------------	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27. टर्नर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	06* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल	टर्नर के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या टर्नर व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो

करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	तीन वर्ष सेवा की है।		वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।
---	----------------------	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे टर्नर (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में से वारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28. अपहोलस्टर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	22* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	नहीं।	नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे अपहोलस्टर (कुशल) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजेटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29. वायरलैस ऑपरेटर मैकेनिक (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II)	57* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम	वायरलैस ऑपरेटर मैकेनिक के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही दो वर्ष का अनुभव या वायरलैस ऑपरेटर मैकेनिक व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने तीन वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा नहीं।

तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)			
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।			

(10)	(11)	(12)	(13)
आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजेटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30. वायुयान मैकेनिक (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	77* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	किसी सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थान से वायुयान मैकेनिक के व्यवसाय में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव। या वायुयान मैकेनिक व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे वायुयान मैकेनिक (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31. आयुधिक (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	21* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आयुधिक के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या आयुधिक व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या	प्रोन्नति: ऐसे आयुधिक (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड	लागू नहीं होता।

पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	
--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32. लुहार और वेल्डर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	12* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक)	लुहार और वेल्डर के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या

की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	या लुहार और वेल्डर व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।		पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेसन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा नहीं।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेसन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे लुहार और वेल्डर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेसन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33. बायलर अटेन्डेंट (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	02* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	बायलर अटेन्डेंट के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या बायलर अटेन्डेंट व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेसन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेसन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे बायलर अटेन्डेंट (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34. पुस्तक जिल्दसाज (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	01* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली	पुस्तक जिल्दसाज के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या पुस्तक जिल्दसाज व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा नहीं।

भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।			
---	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे पुस्तक जिल्दसाज (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35. बढई (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	63* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	बढ़ई के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या बढ़ई व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे बढ़ई (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36. कम्पोजिटर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	02* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसूचित	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	कम्पोजिटर के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या कम्पोजिटर व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी	प्रोन्नति: ऐसे कम्पोजिटर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित	लागू नहीं होता।

भर्ती द्वारा।	वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	
---------------	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37. ताम्रकार और धातु चादर कर्मकार (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	20* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	ताम्रकार और धातु चादर कर्मकार के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या ताम्रकार और धातु चादर कर्मकार व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे ताम्रकार और धातु चादर कर्मकार (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38. बिजली मिस्री (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	30* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	बिजली मिस्री के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या बिजली मिस्री व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेसन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेसन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे बिजली मिल्त्री (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेसन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
39. विधुत लेपक (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	06* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	विद्युत लेपक के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या विद्युत लेपक व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीवीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे विद्युत लेपक (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में से वारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40. फिटर यांत्रिक परिवहन (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	22* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	फिटर यांत्रिक परिवहन के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या फिटर यांत्रिक परिवहन व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे फिटर यांत्रिक परिवहन (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन	लागू नहीं होता।

	या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41. फिटर या फिटर साधारण (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	10* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-	फिटर या फिटर साधारण के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या फिटर या फिटर साधारण व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा नहीं।

कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।			
--	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे फिटर या फिटर साधारण (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42. उपकरण मरम्मतकर्ता (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	22* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	उपकरण मरम्मतकर्ता के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या उपकरण मरम्मतकर्ता व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे उपकरण मरम्मतकर्ता (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43. चमड़ा कर्मकार (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	04* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने	चमड़ा कर्मकार के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या चमड़ा कर्मकार व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।			
--	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे चमड़ा कर्मकार (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44. मशीन टूल सेटर और ऑपरेटर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	25* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मशीन टूल सेटर और ऑपरेटर के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या मशीन टूल सेटर और ऑपरेटर व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे मशीन टूल सेटर और ऑपरेटर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
45. सांचागार (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	04* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख	सांचागार के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या सांचागार व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा नहीं।

वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।			
--	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे सांचागार (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46. नमूनाकार (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	02* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	नमूनाकार के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या नमूनाकार व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे नमूनाकार (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में से वारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कर्मियों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
47. पेन्टर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	80* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	पेन्टर के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या पेन्टर व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेसन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे पेन्टर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेसन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजेटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48. फोटो मैकेनिक (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	02* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	फोटो मैकेनिक के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या फोटो मैकेनिक व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे फोटो मैकेनिक (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में से वारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
49. रेडार मैकेनिक (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	25* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	रेडार मैकेनिक के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या रेडार मैकेनिक व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेदन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेदन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे रेडार मैकेनिक (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है – सदस्य	लागू नहीं होता।

	उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50. सुरक्षा उपस्कर कर्मकार (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	03* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)	सुरक्षा उपस्कर कर्मकार के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए	सुरक्षा उपस्कर कर्मकार व्यवसाय		प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के

निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।		माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा नहीं।
--	--	--	---

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे सुरक्षा उपस्कर कर्मकार (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
51. टेलर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	11* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	टेलर के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या टेलर व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या	प्रोन्नति: ऐसे टेलर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।

पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	
--	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
52. टीनकार (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	15* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)	टीनकार के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या टीनकार व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।			माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।
---	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे टीनकार (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कर्मियों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

	केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53. टर्नर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	06* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	टर्नर के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या टर्नर व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे टर्नर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग – अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है – सदस्य	लागू नहीं होता।

	अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेट ऑफिसर - सदस्य	
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
54. अपहोलस्टर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	22* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 ₹0) + ग्रेड वेतन 2800 ₹0	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	नहीं।	नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे अपहोलस्टर (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहाँ प्रोन्नति की जानी है - सदस्य	लागू नहीं होता।

	परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजटेड ऑफिसर - सदस्य	
--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
55. वायरलैस ऑपरेटर मैकेनिक (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-I)	57* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	वायरलैस ऑपरेटर मैकेनिक के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव या वायरलैस ऑपरेटर मैकेनिक व्यवसाय से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने चार वर्ष सेवा की है।	नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों या आमेलन के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा सभी के न हो	प्रोन्नति: ऐसे वायरलैस ऑपरेटर मैकेनिक (अतिकुशल कर्मकार श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में और विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधीन रहते हुए उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में,	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिंग - अध्यक्ष 2. उस श्रेणी में अर्हित ऐसा कमीशंड ऑफिसर जो उस अनुभाग	लागू नहीं होता।

सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन या प्रतिनियुक्ति: रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है - सदस्य 3. प्रभारी ऑफिसर सिविलियन प्रशासन या सिविलियन गजेटेड ऑफिसर - सदस्य	
-----------------------------------	---	--	--

[फा. सं. वा.से.मु./23049/हाईली स्कल्ड/आर.आर./पी.सी.-4/04/14/रक्षा(नियुक्तियाँ)]

दलपत सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 24th March, 2014

S.R.O. 29.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Air Force Group 'C' post Industrial Highly Skilled Recruitment Rules, 2007 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts of the Highly Skilled Worker Grade-II and Highly Skilled Worker Grade-I in the Indian Air Force, Ministry of Defence, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Air Force Group 'C' Industrial posts, Highly Skilled Workers, Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of Post, Classification and Pay Band and Grade Pay or Scale of pay.—The number of posts, their classification and the Pay Band and Grade Pay or Scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualification, etc. —The method of recruitment to the said posts, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed.

5. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in the regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and Grade pay or Pay Scale.	Whether Selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Aircraft Mechanic (Highly Skilled Worker Grade II)	77 * (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2400	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes)	Certificate Course from Govt. Recognised Institute in the trade of Aircraft Mechanic with two years experience OR Ex-serviceman from Aircraft Mechanic trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.			
--	--	--	--

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Aircraft Mechanics (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Armourer (Highly Skilled Worker Grade II)	21* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2400	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Armourer with two years experience OR Ex-servicemen from Armourer trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for persons recruited through absorption.

Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.			
---	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing both by direct recruitment	Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Blacksmith and Welder (Highly Skilled Worker Grade II)	12* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Blacksmith and Welder with two years experience OR Ex-servicemen from Blacksmith and Welder trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.			
---	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment.	Promotion: From amongst Blacksmith and Welder (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Boiler Attendant (Highly Skilled Worker Grade II)	02* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs.2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-division and Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Boiler Attendant with two years experience OR Ex-servicemen from Boiler Attendant trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees/ persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Boiler Attendant (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Book Binder (Highly Skilled Worker Grade II)	01* (2014) * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200- 20200) + Grade Pay Rs.2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-division and Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Book Binder with two years experience. OR Ex-servicemen from Book Binder trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees/ persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Book Binder (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer-Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section	Not applicable

	higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	
--	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Carpenter (Highly Skilled Worker Grade II)	63* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs.2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Carpenter with two years experience OR Ex-servicemen from Carpenter trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.			
---	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Carpenter (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Compositor (Highly Skilled Worker Grade II)	02* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs.2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Compositor with two years experience OR Ex-servicemen from Compositor trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Compositor (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Coppersmith and Sheet Metal Worker (Highly Skilled Worker Grade II)	20* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs.2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Coppersmith and Sheet Metal Worker with two years experience. OR Ex-servicemen from Coppersmith and Sheet Metal Worker trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment.	Promotion: From amongst Coppersmith and Sheet Metal Worker (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section	Not applicable

	years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	
--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. Copy Holder (Highly Skilled Worker Grade II)	01* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Copy Holder with two years experience. OR Ex-servicemen from Copy Holder trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.			
--	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment.	Promotion: From amongst Copy Holder (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. Electrician (Highly Skilled Worker Grade II)	30* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200- 20200) + Grade Pay Rs.2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Electrician with two years experience OR Ex-servicemen from Electrician trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment.	Promotion: From amongst Electrician (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11. Electroplator (Highly Skilled Worker Grade II)	6* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs.2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Electroplator with two years experience. OR Ex-servicemen from Electroplater trade with three years service	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Electroplator (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12. Fitter Mechanical Transport (Highly Skilled Worker Grade II)	22* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs.2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Fitter Mechanical Transport with two years experience OR Ex-servicemen from Fitter Mechanical Transport trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Fitter Mechanical Transport (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. Fitter/Fitter General (Highly Skilled Worker Grade II)	10* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadeep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Fitter or Fitter General with two years experience. OR Ex-servicemen from Fitter or Fitter General trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Fitter or Fitter General (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member	Not applicable

	already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	
--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14. Instrument Repairer (Highly Skilled Worker Grade II)	22* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -I (Rs.5200- 20200) + Grade Pay Rs. 2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Instrument Repairer with two years experience. OR Ex-servicemen from Instrument Repairer trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.			
---	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion : From amongst Instrument Repairer (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15. Leather Worker (Highly Skilled Worker Grade II)	04* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs.2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Leather Worker with two years experience. OR Ex-servicemen from Leather Worker trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Leather Worker (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16. Machine Minder (Cylinder) (Highly Skilled Worker Grade II)	01* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs.2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Machine Minder with two years experience. OR Ex-servicemen from Machine Minder trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment.	Promotion: From amongst Machine Minder (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17. Machine Tool Setter and Operator (Highly Skilled Worker Grade II)	25* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs.2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Machine Tool Setter and Operator with two years experience. OR Ex-servicemen from Machine Tool Setter and Operator trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing both by direct recruitment	Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18. Moulder (Highly Skilled Worker Grade II)	04* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs.2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Moulder with two years experience. OR Ex-servicemen from Moulder trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Moulder (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces;	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding- Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19. Pattern Maker (Highly Skilled Worker Grade II)	02* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200- 20200) + Grade Pay Rs. 2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in trade of Pattern Maker with two years experience. OR Ex-servicemen from Pattern Maker trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Pattern Maker (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20. Painter (Highly Skilled Worker Grade II)	80* (2014) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in trade of Painter with two years experience. OR Ex-servicemen from Painter trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Painter (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21. Photo Mechanic (Highly Skilled Worker Grade II)	02* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in trade of Photo Mechanic with two years experience. OR Ex-servicemen from Photo Mechanic trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing both by direct recruitment	Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member	Not applicable

	person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22. Radar Mechanic (Highly Skilled Worker Grade II)	25* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in trade of Radar Mechanic with two years experience. OR Ex-servicemen from Radar Mechanic trade with three years service	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing both by direct recruitment.	Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Group ‘C’ Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23. Rigger Leading (Highly Skilled Worker Grade II)	01* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group ‘C’, Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Industrial Training Institute Certificate in trade of Rigger Leading with two years experience. OR Ex-servicemen from Rigger Leading trade with three years service	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.			
---	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Rigger Leading (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24. Safety Equipment Worker (Highly Skilled Worker Grade II)	03* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs.2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in trade of Safety Equipment Worker with two years experience. OR Ex-servicemen from Safety Equipment Worker trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Safety Equipment Worker (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25. Tailor (Highly Skilled Worker Grade II)	11* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200- 20200) + Grade Pay Rs.2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangri Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in trade of Tailor with two years experience. OR Ex-servicemen from Tailor trade with three years service	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Tailor (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26. Tin Smith (Highly Skilled Worker Grade II)	15* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs.2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in trade of Tin Smith with two years experience. OR Ex-servicemen from Tin-Smith trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Tin Smith (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27. Turner (Highly Skilled Worker Grade II)	06* (2014) * Subject to variation dependent on work- load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200- 20200) + Grade Pay Rs. 2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangri Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in trade of Turner with two years experience. OR Ex-servicemen from Turner trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Turner (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian	Not applicable

	grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Administration or Civilian Gazetted or Officer - Member	
--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28. Upholster (Highly Skilled Worker Grade II)	22* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200- 20200) + Grade Pay Rs. 2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable.	No	No

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion.	Promotion: From amongst Upholster (Skilled) with eight years regular service in the grade. Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29. Wireless Operator Mechanic (Highly Skilled Worker Grade II)	57* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2400	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in trade of Wireless Operator Mechanic with two years experience. OR Ex-servicemen from Wireless Operator Mechanic trade with three years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing both by direct recruitment	Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30. Aircraft Mechanic (Highly Skilled Worker Grade I)	77 * (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs.2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangri Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Certificate Course from Govt. Recognized Institute in the trade of Aircraft Mechanic with three years experience OR Ex-serviceman from Aircraft Mechanic trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.			
---	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Aircraft Mechanics (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31. Armourer (Highly Skilled Worker Grade I)	21* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200- 20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Armourer with three years experience OR Ex-servicemen from Armourer trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Armourer (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32. Blacksmith and Welder (Highly Skilled Worker Grade I)	12* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Blacksmith and Welder with three years experience OR Ex-servicemen from Blacksmith and Welder trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.			
---	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Blacksmith and Welder (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33. Boiler Attendant (Highly Skilled Worker Grade I)	02* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Boiler Attendant with three years experience OR Ex-servicemen from Boiler Attendant trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Boiler Attendant (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34. Book Binder (Highly Skilled Worker Grade I)	01* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Book Binder with three years experience. OR Ex-servicemen from Book Binder trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption..

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Book Binder (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35. Carpenter (Highly Skilled Worker Grade I)	63* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Carpenter with three years experience OR Ex-servicemen from Carpenter trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Carpenter (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related	Not applicable

	successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36. Compositor (Highly Skilled Worker Grade I)	02* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangti Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Compositor with three years experience OR Ex-servicemen from Compositor trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.			
---	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Compositor (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Group ‘C’ Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37. Coppersmith and Sheet Metal Worker (Highly Skilled Worker Grade I)	20* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group ‘C’, Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs. 5200-20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Coppersmith and Sheet Metal Worker with three years experience. OR Ex-servicemen from Coppersmith and Sheet Metal Worker trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Coppersmith and Sheet Metal Worker (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38. Electrician (Highly Skilled Worker Grade I)	30* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200- 20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Schedule Castes and Schedule Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Electrician with three years experience OR Ex-servicemen from Electrician trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Electrician (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
39. Electroplator (Highly Skilled Worker Grade I)	6* (2014) * Subject to variation dependent on work- load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Electroplator with three years experience. OR	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Ex-servicemen from Electroplater trade with four years service		
---	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Electroplator (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40. Fitter Mechanical Transport (Highly Skilled Worker Grade I)	22* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangri Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Fitter Mechanical Transport with three years experience OR Ex-servicemen from Fitter Mechanical Transport trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Fitter Mechanical Transport (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41. Fitter or Fitter General (Highly Skilled Worker Grade I)	10* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Fitter or Fitter General with three years experience. OR Ex-servicemen from Fitter or Fitter General trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangl Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).			
In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.			

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Fitter or Fitter General (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42. Instrument Repairer (Highly Skilled Worker Grade I)	22* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Instrument Repairer with three years experience. OR Ex-servicemen from Instrument Repairer trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Instrument Repairer (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43. Leather Worker (Highly Skilled Worker Grade I)	04* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs.2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Leather Worker with three years experience. OR Ex-servicemen from Leather Worker trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Leather Worker (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44. Machine Tool Setter and Operator (Highly Skilled Worker Grade I)	25* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs.2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Schedule Castes and Schedule Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Machine Tool Setter and Operator with three years experience. OR Ex-servicemen from Machine Tool Setter and Operator trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Machine Tool Setter and Operator (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman	Not applicable

	service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	
--	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
45. Moulder (Highly Skilled Worker Grade I)	04* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of	Industrial Training Institute Certificate in the trade of Moulder with three years experience. OR	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadeep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Ex-servicemen from Moulder trade with four years service.		
---	---	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Moulder (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46. Pattern Maker (Highly Skilled Worker Grade I)	02* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in trade of Pattern Maker with three years experience. OR Ex-servicemen from Pattern Maker trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Pattern Maker (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade. and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
47. Painter (Highly Skilled Worker Grade I)	80* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in trade of Painter with three years experience. OR Ex-servicemen from Painter trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Painter (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48. Photo Mechanic (Highly Skilled Worker Grade I)	02* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in trade of Photo Mechanic with three years experience. OR Ex-servicemen from Photo Mechanic trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment.	Promotion: From amongst Photo Mechanic (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
49. Radar Mechanic (Highly Skilled Worker Grade I)	25* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in trade of Radar Mechanic with three years experience. OR Ex-servicemen from Radar Mechanic trade with four years service	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Radar Mechanic (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding- Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50. Safety Equipment Worker (Highly Skilled Worker Grade I)	03* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in trade of Safety Equipment Worker with three years experience. OR Ex-servicemen from Safety Equipment Worker trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Safety Equipment Worker (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
51. Tailor (Highly Skilled Worker Grade I)	11* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	8	9
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadeep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in trade of Tailor with three years experience. OR Ex-servicemen from Tailor trade with four years service	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Tailor (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
52. Tin Smith (Highly Skilled Worker Grade I)	15* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200- 20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in trade of Tin Smith with three years experience. OR Ex-servicemen from Tin- Smith trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Tin Smith (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53. Turner (Highly Skilled Worker Grade I)	06* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200- 20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadeep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in trade of Turner with three years experience. OR Ex-servicemen from Turner trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Turner (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
54. Upholster (Highly Skilled Worker Grade I)	22* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	No	No

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion.	Promotion: From amongst Upholster (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
55. Wireless Operator Mechanic (Highly Skilled Worker Grade I)	57* (2014) * Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 1 (Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General Candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Industrial Training Institute Certificate in trade of Wireless Operator Mechanic with three years experience. OR Ex-servicemen from Wireless Operator Mechanic trade with four years service.	No	Two years for direct recruits and for persons on deputation or re-employment. No probation for promotees or persons recruited through absorption.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by absorption or deputation failing which by deputation or re-employment (for Ex-Servicemen) failing all by direct recruitment	Promotion: From amongst Wireless Operator Mechanic (Highly Skilled Worker Grade-II) with five years regular service in the grade and subject to passing the prescribed trade test. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services. Absorption or deputation: From amongst persons serving in analogous or higher grades in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications as specified in column (7). Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Air-Officer-Commanding or Officer Commanding - Chairman 2. Commissioned Officer qualified in the trade and not related with the section where promotions are to be made - Member 3. Officer-in-Charge Civilian Administration or Civilian Gazetted Officer - Member	Not applicable

	who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. Note 2: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the applications).		
--	---	--	--

[F. No. Air HQ/23049/Highly Skilled/RR/PC-4/01/RR/14/D(Apptts.)]

DALPAT SINGH, Under Secy.